14.12.21. पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त न अधिवक्ता अपी. और न स्वयं अपीलान्ट उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रा. दि 14.12.17 से रेस्पो. के सम्मन पेश करने बाबत जेरकार है। अन्तिम अवसर भी दिये जा चुके है। आज भी उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम तकमील मे खारिज की जाती है। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
एवं
उपखण्ड अपील अधिकारी
[illegible]